Gyanvividha, Vol.-3; Issue-3 (July-September) 2026 : PP-108-110

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध-पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-6.125
Vol.-3; Issue-3 (July-Sept.) 2026
Page No.- 108-110
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. जितेन्द्र कुमार मानकर

अतिथि प्राध्यापक, इतिहास विभाग, बी.सी.एस.शा. स्नाकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग).

Corresponding Author :

डॉ. जितेन्द्र कुमार मानकर

अतिथि प्राध्यापक, इतिहास विभाग, बी.सी.एस.शा. स्नाकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग).

मानव अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक अध्ययन

सारांश : मानव अधिकार मानव सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुई ऐसी सार्वभौमिक अवधारणा है, जिसका मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा एवं समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। मानव अधिकार किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, लिंग अथवा राष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को केवल मानव होने के आधार पर प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की अवधारणा का विकास एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन सभ्यताओं में न्याय, समानता और मानवीय गरिमा से संबंधित विचारों से लेकर मैग्नाकार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स तथा फ्रांसीसी मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा तक मानव अधिकारों की अवधारणा क्रमशः विकसित हुई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों की विभीषिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तथा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण इस विकास यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं। इसके बाद 1966 के अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों तथा 1993 की वियना घोषणा एवं कार्ययोजना ने मानव अधिकारों को अधिक व्यापक और संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। प्रस्तुत शोधपत्र में मानव अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास के प्रमुख चरणों तथा अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी : मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा, प्राकृतिक अधिकार, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, वियना घोषणा।

प्रस्तावना : मानव अधिकार किसी भी सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज की मूल आधारशिला हैं। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापक अर्थ में मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों की अवधारणा केवल आधुनिक राजनीतिक चिंतन की देन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास में देखी जा सकती हैं। मानव समाज के विकास के साथ व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि उसके जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ मूलभूत अधिकार आवश्यक हैं। परिवार, समुदाय, राज्य और शासन व्यवस्था के विकास के साथ व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ। इसी प्रक्रिया में शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और न्याय की मांग ने मानव अधिकारों के विचार को जन्म दिया।

मानव अधिकारों का इतिहास वस्तुतः मानव गरिमा एवं स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास है। प्रारंभ में ये अधिकार प्राकृतिक एवं नैतिक अधिकारों के रूप में माने गए, किंतु कालांतर में इन्हें विधिक एवं संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। आधुनिक युग में मानव अधिकार राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बने और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इन्हें सार्वभौमिक स्वरूप प्राप्त हुआ।

मानव अधिकार का अर्थ एवं अवधारणा : 'मानव अधिकार' दो शब्दों, ''मानव'' और ''अधिकार'', से मिलकर बना है। मानव से आशय संपूर्ण मानव जाति से

है, जबकि अधिकार से आशय उन आवश्यक परिस्थितियों एवं स्वतंत्रताओं से है जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।

मानव अधिकारों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इनके केंद्र में ''मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व का विकास'' निहित है। शिक्षा, स्वतंत्रता, समान अवसर, जीवन की सुरक्षा, न्याय, सम्मानजनक कार्य–दशा आदि मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के संदर्भ में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतरराष्ट्रीय करारों में निहित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकारों से संबंधित माना गया है।

मानव अधिकारों की प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : मानव अधिकारों का कोई एक निश्चित जन्म–स्थान या समय निर्धारित करना कठिन है। प्राचीन सभ्यताओं में न्याय, नैतिकता, समानता एवं मानवीय व्यवहार से संबंधित विचार पाए जाते हैं।

भारतीय चिंतन परंपरा में '''वसुधैव कुटुम्बक'', अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सर्वकल्याण जैसे विचार मानव गरिमा एवं सार्वभौमिक कल्याण की भावना को व्यक्त करते हैं। बौद्ध एवं जैन परंपराओं में भी अहिंसा, करुणा और प्राणीमात्र के प्रति सम्मान पर बल दिया गया।

पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में भी यूनानी एवं रोमन दार्शनिकों ने न्याय, कानून और नागरिकता से संबंधित विचार विकसित किए। यद्यपि प्राचीन समाजों में आधुनिक अर्थों में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा मौजूद नहीं थी, फिर भी इन विचारों ने आगे चलकर अधिकार–चिंतन के विकास के लिए आधार तैयार किया।

1. **मैग्नाकार्टा, 1215** – मानव अधिकारों के ऐतिहासिक विकास में ''मैग्नाकार्टा 1215'' को महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा स्वीकार किए गए इस दस्तावेज ने राजा की निरंकुश शक्ति को सीमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. **पिटीशन ऑफ राइट्स, 1628** – ''1628 का पिटीशन ऑफ राइट्स'' इंग्लैंड में नागरिक स्वतंत्रताओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके माध्यम से मनमाने करारोपण, बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तारी तथा नागरिकों पर शासन की मनमानी शक्ति के विरुद्ध सीमाएँ स्थापित करने का प्रयास किया गया।
3. **इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, 1689** – 1689 का इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स'' संवैधानिक एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के विकास में महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसने संसद की भूमिका को मजबूत किया तथा राजसत्ता की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस दस्तावेज ने कानून के शासन, संसद की सर्वोच्चता तथा नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित विचारों को मजबूती प्रदान की। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका की भूमिका एवं नागरिक अधिकारों के विकास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
4. **अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, 1776** – ''4 जुलाई 1776'' को अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा–पत्र स्वीकार किया गया। इसमें व्यक्ति की समानता तथा जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज जैसे मूलभूत अधिकारों पर बल दिया गया। इस घोषणा ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को राजनीतिक एवं संवैधानिक आधार प्रदान किया। इससे यह विचार मजबूत हुआ कि मनुष्य कुछ अधिकारों के साथ जन्म लेता है और सरकार का उद्देश्य उन अधिकारों की रक्षा करना है।
5. **अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स, 1791** – संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ''1791 में बिल ऑफ राइट्स'' को सम्मिलित किया गया। इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इससे मानव अधिकारों की अवधारणा को पहली बार व्यापक रूप से लिखित संवैधानिक एवं न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार मिला।
6. **फ्रांसीसी मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा, 1789** –''1789 की फ्रांसीसी मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा'' मानव अधिकारों के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रमुखता मिली।
7. **प्राकृतिक अधिकारों से विधिक अधिकारों की ओर** – मानव अधिकारों के प्रारंभिक विकास में प्राकृतिक अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकारों को प्राकृतिक माना गया।
8. **प्रथम विश्व युद्ध और मानव अधिकार** – प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापक स्तर पर मानव जीवन और गरिमा का उल्लंघन हुआ। युद्ध की विभीषिका ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं मानव सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। वर्ष ''1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यद्यपि राष्ट्र संघ मानव अधिकारों की व्यापक सुरक्षा स्थापित करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सामूहिक सुरक्षा की दिशा में आधार तैयार किया।
9. **द्वितीय विश्व युद्ध और मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीयकरण** – द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव अधिकारों के इतिहास को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। युद्ध के दौरान व्यापक नरसंहार, यातना, विस्थापन एवं मानवता के विरुद्ध अपराधों ने विश्व समुदाय को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक सुरक्षा के लिए प्रेरित किया।
10. **संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, 1945** – द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ''1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया।

वर्ष ''1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग'' का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के लिए एक व्यापक दस्तावेज तैयार करना था।

11. **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948** – मानव अधिकारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक ''10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा'' का अंगीकरण था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार की गई इस घोषणा ने मानव अधिकारों को सार्वभौमिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों को महत्व दिया गया।

    10 दिसंबर'' को बाद में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सार्वभौमिक घोषणा ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान एवं कानूनों को प्रभावित किया और मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास की आधारभूमि तैयार की।

12. **1966 के अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र** – मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद मानव अधिकारों को अधिक प्रभावी कानूनी स्वरूप देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र तैयार किए गए –
    - ''नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र।
    - ''आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र।

    दोनों प्रतिज्ञापत्रों को ''16 दिसंबर 1966'' को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। इनके माध्यम से मानव अधिकारों को नागरिक एवं राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों में व्यापक रूप प्रदान किया गया।

13. **वियना घोषणा एवं कार्ययोजना, 1993** – मानव अधिकारों के विकास में ''1993 का वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन'' भी महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में स्वीकार की गई वियना घोषणा एवं कार्ययोजना ने मानव अधिकारों को ''सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित एवं अंतर्संबंधित'' माना, इसमें विकास के अधिकार को भी मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। घोषणा ने महिलाओं, बच्चों, प्रवासी श्रमिकों, शरणार्थियों, मूल निवासियों तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों के संरक्षण पर विशेष बल दिया।

    वियना घोषणा ने मानवाधिकार शिक्षा, राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने तथा मानव अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण की संस्थागत व्यवस्था को और मजबूती मिली।

भारत में मानव अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : भारत में मानव अधिकारों की अवधारणा को केवल आधुनिक पश्चिमी चिंतन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। भारतीय परंपरा में मानव गरिमा, समानता, अहिंसा, सहिष्णुता और सर्वकल्याण के अनेक विचार मिलते हैं। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन ने नागरिक स्वतंत्रता और समानता की मांग को राजनीतिक स्वरूप दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक शासन की मनमानी, भेदभाव और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध के विरुद्ध संघर्ष हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान ने मानव अधिकारों को व्यापक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। ''मौलिक अधिकार'', समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार मानव गरिमा एवं स्वतंत्रता की रक्षा के प्रमुख आधार हैं।

मानव अधिकारों के विकास का समकालीन स्वरूप – आज मानव अधिकारों का दायरा केवल जीवन और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार, डिजिटल अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जैसे विषय भी मानव अधिकार विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने मानव अधिकारों के समक्ष नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। डिजिटल निजता, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन अभिव्यक्ति और सूचना तक पहुँच जैसे विषय भविष्य के मानवाधिकार विमर्श के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

उपसंहार : मानव अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मानव सभ्यता द्वारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गरिमा की प्राप्ति के लिए किए गए दीर्घ संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। प्राचीन नैतिक एवं दार्शनिक विचारों से प्रारंभ होकर मैग्नाकार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स और फ्रांसीसी मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा जैसे दस्तावेजों ने मानव अधिकारों की अवधारणा को क्रमशः विधिक एवं राजनीतिक आधार प्रदान किया। दो विश्व युद्धों की विभीषिका ने यह स्पष्ट किया कि मानव अधिकारों की सुरक्षा केवल राष्ट्रीय विषय नहीं हो सकती। इसी आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 1966 के अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र और 1993 की वियना घोषणा ने मानव अधिकारों को अधिक व्यापक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।

संदर्भ सूची :

1. भारत का संविधान, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, भारत सरकार।
3. संयुक्त राष्ट्र, (1966) – नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
4. संयुक्त राष्ट्र, (1966) – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
5. संयुक्त राष्ट्र, (1993)– वियना घोषणा और कार्य–योजना।
6. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय – मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और मानवाधिकार संबंधी दस्तावेज।

•